

श्रीमान जी, प्रार्थी का नाम खाता सं. 105, 149, 150 में दोड़ एवं मांगीलाल देवे हैं।  
 जिनके विषयगत लगे हुआ है, प्रार्थी के पहचान दस्तावेज यथा समाधार कंडा  
 पहचान पत्र, समाधार कोड, एवं खाते में सुरक्षित हुए ~~संकेत~~ देवे हैं, ग्राम में  
 होने पर दोड़ [मांगीलाल का अस्तित्व नाम सुरक्षित सिंगु] बताया है, अतः खाता सं. 105  
 150 में दोड़ [मांगीलाल] अस्तित्व पर सुरक्षित हुए मांगीलाल को ~~संकेत~~ किया जाना उचित होगा।

भू अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट

श्रीमानजी, पटवारी रिपोर्ट एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार शुद्ध किया जाता उचित है।

महकमल  
 13/10/25  
 ILR जिलाना

तहसीलदार की रिपोर्ट

मुताबिक रिपोर्ट पर्याप्त और सहायकात्मक

माल  
 शिवाजी नगर

तहसीलदार (पु. प्र.) नसीराबाद

2025

682

प्रमारी अधिकारी "ग्रामीण सेवा शिविर-2025"

क्रमांक/ 392

दिनांक:- 14/10/25

आदेश

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार से अभिलेख में दुरुस्ती हेतु निवेदन किया गया है एवं इस दुरुस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं भू अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट व तहसीलदार नसीराबाद की अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम ..... (दोड़) ..... तहसील नसीराबाद की जमाबंदी सम्वत्. 2071-74 ..... के खाता संख्या ..... 105, 149, 150 ..... में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टी को निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	पूर्व इन्द्राज का विवरण			स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज		
	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा
1)	दोड़ एवं मांगीलाल जाति: कुर्जरी शेष वस्त्र	उपरोक्त वर्किल खा. सं. के अनुसार		1) सुखपाल कुल मांगीलाल जाति: कुर्जरी शेष वस्त्र	उपरोक्त वर्किल खा. सं. के अनुसार	



संख्या:- 5654-55

दिनांक 14/10/25

प्रतिक्रिया: 1) तहसीलदार नसीराबाद को पालाया  
 2) आदेश पत्रावली

प्रमारी अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी  
 नसीराबाद, जिला अजमेर